

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी- श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -	तारीख दायर	तारीख फैसला
24/2018/प्रार्थना पत्र	02.02.2018	28.02.2018

उनवान

- 1- महावीर पिता सुखा कुम्हार निवासी बालापुरा तह० फूलियाकलां
- 2- मु० माया पुत्री सुखा कुम्हार निवासी बालापुरा तह० फूलियाकलां

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- भैरू पिता रामकरण खारोल निवासी बालापुरा तह० फूलियाकलां
- 2- हीरा पिता छोटू खारोल निवासी बालापुरा तह० फूलियाकलां
- 3- सत्यनारायण पिता श्रवण तेली निवासी मोतीपुरा तह० फूलियाकलां
- 4- कैलाश पिता गोकुल मेवाड़ा निवासी बालापुरा तह० फूलियाकलां
- 5- रोडू पिता रामचन्द्र तेली निवासी मोतीपुरा तह० फूलियाकलां
- 6- रामस्वरूप पिता हाथी खारोल निवासी बालापुरा तह० फूलियाकलां
- 7- प्रहलाद पिता रामकरण खारोल निवासी बालापुरा तह० फूलियाकलां

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री विजय पाराशर : अधिवक्ता प्रार्थीगण  
निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम बालापुरा पटवार हल्का बालापुरा तहसील फूलियाकलां में प्रार्थीगण व नाबालिग खातेदार इन्द्रा, रामघणी, सुशीला के संयुक्त खातेदारी की खातेदारी अधिकार की आराजी कुल किता 3 रकबा 0.96 है० भूमि स्थित है। पैरा नं० 1 में वर्णित आराजीयात में से 1340/493 रकबा 0.64 है०की सीमाओं के विपक्षीगण नं० 1 व 7 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। विपक्षी संख्या अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 में वर्णित आराजीयात में से आ०न०



1340/493 रकबा 0.64 है० की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.02.2018 को विपक्षी संख्या अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल बालापुरा संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 136 आ०न० 1340/493 रकबा 0.64 है० के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

### आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बालापुरा पटवार हल्का बालापुरा तहसील फूलियाकलां में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 136 आ०न० 1340/493 रकबा 0.64 है० के प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी में ऑफ सीजन में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 300/- ( अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ





तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28.02.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



*[Handwritten signature]*

(भंवरलाल कांसोटिया)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

*[Handwritten signature]*

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा